न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगगांनगर

भूप सिंह बनाम इमानती आदि

प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या :– 64/2022
प्रकरण संख्या (GCMS) :– 2022/333

24.08.2022 यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वकील प्रार्थी श्री श्रवण बिश्नोई के जरिये प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पर प्रथम दृष्टया विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद करते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील घड़साना के चक 12 एमएलडी–ए के प.नं. 209/43 मु.नं. 10 के किला नं. 16 व 25 की 0.190 है0, प.नं. 209/44 मु.नं. 12 के किला नं. 4 ता 8, 13, 14, 17, 18, 23, 24 की 2.543 है0, प.नं. 209/52 मु.नं. 13 के किला नं. 1, 2, 10, 11, 20 की 0.646 है0 कुल 3.379 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रार्थी के हक हिस्से तक की भूमि की मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु आगामी तारीख पेशी तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करे, उनके द्वारा पालना नहीं किये जाने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावे। बैंक के रहन होने की स्थिति में रहन मुक्त करवाने या बैंक राशि जमा करवाने के लिए यह स्थगन निष्प्रभावी रहेगा। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करके पत्रावली दिनांक 29.09.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
घड़साना

29.9.22 पत्रावली पेश। मूल वाद निर्णीत हो चुका है। ऐसी स्थिति मे इस प्रार्थना पत्र की कोई आवश्यकता नही होने पर यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने पर इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पूर्व मे जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

अभिलाषा
(RAS)
उपखण्ड अधिकारी
घड़साना